संख्या-76/2015/2364/26-3-2015-4(2)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 जुलाई, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-121/109/ज.जा.वि./सि.एनीमिया/2015-16, दिनांक-15-07-2015 के सन्दर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक-11015/(03)/2014-एस.जी.-।।, दिनांक-28.03.2015 एवं पत्रांक-11015/03(21)/2014-एस.जी.-।।, दिनांक-24.06.2015 में उल्लिखित निर्देशो के क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में दिये गये निर्देशो के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों का संचालन हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रूपया-300.00/-लाख (रूपया तीन करोड़ मात्र) को जनपद-सिद्वार्थनगर के निम्नलिखित कार्यो में ब्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति स्वीकृति प्रदान करते हैः-

कसं	कार्य का नाम	कार्य की लम्बाई (मीटर में)	कार्य की स्वीकृत लागत(लाख रूपये में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
1	जनजाति ग्राम घुमची प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण	450	38.50	38.50
2	जनजाति ग्राम घुमची जनजाति बस्ती होते हुये मेन रोड़ तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	650	39.50	39.50
3	जनजाति ग्राम घुमची जनजाति बस्ती होते हुये पोखरे तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	200	18.71	18.71

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	जनजाति ग्राम बनकट में जूनियर हाईस्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	480	35.50	35.50
5	जनजाति ग्राम बनकटा जनजाति बस्ती से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	145	13.37	13.37
6	जनजाति ग्राम पचमोहनी प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती होते हुये मेन रोड़ तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	500	39.80	39.80
7	जनजाति ग्राम पचमोहनी प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	510	40.50	40.50
8	जनजाति ग्राम पचमोहनी में मुख्य रोड. से पोखरे तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	135	15.82	15.82
9	जनजाति ग्राम परसाबुर्जग जनजाति बस्ती से ग्राम पंचायत भवन तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	450	38.00	38.00
10	जनजाति ग्राम परसाबुर्जग जनजाति बस्ती से ग्राम पंचायत भवन तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	225	20.30	20.30
	कुल धनराशि		**300.00**	**300.00**

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवंटित की जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर लिया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर ब्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिये जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित करके पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में सुंसगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तगत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0100)-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-76/2015/2364(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर।
3- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्वार्थनगर।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।